महत्वपूर्ण एवं खास

मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवकाश के दिन अधिकारियों ने आफिस खोलकर शिक्षाकर्मियों का दो माह का वेतन किया जमा

रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायगढ़ के शिक्षकों ने ट्वीट कर दो महीने से वेतन नहीं मिलने की जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आज अवकाश के दिन आफिस खोलकर शिक्षाकर्मियों के दो माह का वेतन 30 लाख रुपए जनपद पंचायत घरघोड़ा द्वारा उनके खाते में जमा कर दिया गया है।

ग्राम-झलमला के दो लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु

रायगढ़। रायगढ़ जिले के तहसील पुसौर अंतर्गत 2 लोगों की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु होने पर एसडीएम रायगढ़ द्वारा तहसीलदार पुसौर की अनुशंसा पर मृतक के नजदीकी वारिसानों को 25-25 हजार रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील पुसौर के ग्राम-झलमला निवासी डमरूधर उर्फ मंथन की 12 अप्रैल 2019 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पिता गिरधारी चक्रवती को 25 हजार रुपए तथा ग्राम-झलमला निवासी जय पटेल की 12 अप्रैल 2019 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पिता भगवानो पटेल को 25 हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

गैस सब्सिडी दिलाने के नाम पर युवती से 43 हजार की ऑनलाइन ठगी

अज्ञात मोबाईल धारक के खिलाफ जुर्म दर्ज

रायगढ़। रायगढ़ के कोतवाली थाने में कल रामभाटा मोहल्ले की एक युवती ने गैस सब्सिडी दिलाने के नाम पर एक अनजान व्यक्ति के द्वारा मोबाइल फोन कर ऑनलाइन पेमेंट मांगकर ठगने का लिखित शिकायत थाना प्रभारी के नाम पर दिया जांच उपरांत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चारसौबीसी और आईटी एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

जीजा की हत्या मामले में पुलिस ने परिवार के छह सदस्यों को किया गिरफ्तार

रायगढ़। नाबालिग साली से छेडख़ानी के आरोप में जीजा की हत्या करने वालेसाले और शव को बाड़ी में ठिकाने लगाने के आरोप में पुलिस ने एक ही परिवार के छह लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से जेल भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोपियों की तालाश लगभग एक महीने से चल रही थी। आरोपियों के कोरिया जिले में छिपने की सूचना मिली थी। पुलिस ने घेराबंद करके कोरिया जिले से तीन लोगों को पकड़ लिया। इसमें राजकुमार, जमुना बाई और फूलमति शामिल है। वहीं राजकुमार के पिता सुखसिंह सहित दो अन्य नाबालिगों को पसान क्षेत्र से पकड़ा है। मृतक अनिल अपने ससुराल पसान के दर्री पारा में घर जमाई बनकर रहता था। नाबालिग साली से

छेडख़ानी करता था। परिवार के लोगों ने कई बार अनिल को छेडख़ानी नहीं करने की बात कही थी। इसके बाद भी अनिल छेडख़ानी करने से बाज नहीं आ रहा था। 24 मार्च को अनिल ने साली से छेडख़ानी की। यह देखकर अनिल कासाला आक्रोशित हो गया। उसने जीजा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन घटना के समय अनिल शराब के नशे में था। वह राजकुमार से विवाद करने लगा। विवाद बढने पर राजकुमार ने अनिल के सिर पर हमला कर दिया। अनिल की मौत हो गयी। परिवार ने घटना की जानकारी छिपा दी।

शव को मकान के पीछे बाड़ी में गड्ढा खोदकर दफना दिया। इसके एक महीने बाद परिवार ने शव को बाड़ी से निकालकर घर के पीछे जंगल में दफना दिया था। बारिश में शव के ऊपर के मिट्टी बह गई थी। तब मामले का खुलासा हुआ था। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही थी। आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे।

50 लीटर देशी शराब सहित मोटरसाइकिल के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। सरिया पुलिस ने ग्राम गस्त के दौरान ग्राम बड़े आमकोनी मुख्य मार्ग पर आरोपी रामचंद्र पिता रात्थू बरेठ उम्र 30 वर्ष निवासी गोबरसिंघा, बरमकेला अपनी मोटरसाइकिल क्र. सीजी 04 ए 2551 में 50 लीटर देशी शराब अवैध रूप से ले जाते पाया गया जिस अपराध क्र. 79/ 19 धारा 34 (2) 59(क) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

महाजेंको जनसुनवाई के विरोध में ग्रामीणों ने निकली रैली, सौंपा ज्ञापन

रायगढ़। केलो कोयलांचल आदिवासी बाहुल्य तहसील तमनार के मेहनतकश मजदूर किसान एकता संगठन के नेतृत्व में सैकड़ो ग्रामीणजनों द्वारा महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी (महाजेंको) को आबंटित गारे पेलमा कोल ब्लॉक 2 की 27 जून 2019 को ग्राम डोलेसरा में आयोजित जनसुनवाई निरस्त करने बावत हुंकराडीपा से बाजारपारा, बीच बस्ती, बस स्टैंड,हाई स्कूल तहसील कार्यालय तक रैली निकालकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार तमनार को ज्ञापन एवं प्रतिलिपि राज्यपाल महोदय रायपुर,अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली, सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल अटल नगर रायपुर,सचिव केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र भेजा गया है।जनसुनवाई निरस्त करने की मांग नही माने जाने पर अपना जमीन अस्तित्व बचाने एवं संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा हेतु आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। भू-प्रभावित ग्रामो के सैकड़ो महिला पुरुष युवा सामाजिक कार्यकर्ताओ द्वारा 17 जून को हुंकराडीपा चौक के पास एकत्र हुए।

ग्रामीणजनों को जन चेतना मंच के रमेश अग्रवाल,राजेश त्रिपाठी,सविता रथ एवं हरिहर पटेल ने संबोधित कर ग्रामीणों की कोयला खदान हेतु एक इंच जमीन नही देने का समर्थन करते आदिवासी बनांचल तहसील में अनुसूचित क्षेत्रो का विस्तार पेसा एक्ट अधिनियम 1996 एवं पर्यावरण स्वीकृति ई आई ए अधिसूचना 2006 के संबंध में जानकारी दी गई।

ग्रामीणजनों द्वारा 17 सूत्रीय ज्ञापन में पूर्व में जनसुनवाई आयोजित की गई थी जिसे कंपनी के कहने पर स्थगित कर दी गई।ग्रामीण शुरू से ही

तमनार में एक और कोयला खदान खोले जाने का विरोध करते रहे हैं महाजेनको कंपनी को आशंका थी कि जनसुनवाई का विरोध होगा। कंपनी द्वारा भोले-भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर एवं अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर अपने पक्ष में बोलने के लिए मजबूर कर सके।तमनार तहसील संविधान के तहत अनुसूचित क्षेत्र में है क्षेत्र मे ग्राम सभा की अनुमति के बगैर किसी उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती जनसुनवाई करवाने से पहले ग्राम सभा से अनुमति लेना आवश्यक है एवं उसके बाद ही जनसुनवाई का आयोजन किया जा सकता है।

स्वरोजगार योजना में लाभान्वित करने हेतु सारंगढ़ एवं बरमकेला में शिविर का आयोजन

रायगढ़। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने एवं स्वरोजगार से जोडऩे हेतु शासन द्वारा अंत्योदय एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। स्वरोजगार योजना में लाभान्वित करने हेतु विकासखण्ड सारंगढ़ एवं बरमकेला में शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 जून को सारंगढ़ के ग्राम-गोड़ाहीरी, 22 जून को बरमकेला के ग्राम-डभरा, 24 जून को बरमकेला के ग्राम लेन्ध्रा, 27 जून बरमकेला के ग्राम-सांकरा एवं 29 जून को बरमकेला के ग्राम-तौसीर में शिविर का आयोजन किया जाएगा। उक्त समस्त शिविर संबंधित ग्राम के पंचायत भवन में पूर्वान्ह 11 बजे से शाम 4.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति स्वयं का रोजगार स्थापित करने के इच्छुक अपना जाति, आय प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ शिविर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। योजना में हितग्राही को 10 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है।

मांड नदी में डूबे युवक का अब तक नही मिला सुराग

रायगढ़। अम्बेटिकरा के पास मांड नदी में नहाने गये युवक का अब तक कोई सुराग नही मिला है। नहाते वक्त डूबने से मौत की आशंका इसलिए व्यक्त की जा रही है क्योंकि युवक का कपड़ा, मोबाइल, चप्पल पंसारी दरहा के पास नदी के किनारे रखा हुआ है। बताया जाता है कि कल लगभग दस बजे किसी से लिफ्ट लेकर धरमजयगढ़ से अम्बेटिकरा पहुंचा और नहाने के लिए वहीं स्थित पंसारी दरहा गया । पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस दल बल सहित घटना स्थल पहुंच कर स्थानीय गोताखोरों की मदद से लाश को खोजने की कोशिश की गई लेकिन सफलता नही मिली।अभी अभी सूचना मिली है कि रायगढ़ से गोताखोर पहुंच चुके हैं।

झारडीह रेल्वे यार्ड में संदिग्ध अवस्था मे घूमते चार महिलाओ को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया

रायगढ़। रायगढ़ आरपीएफ पोस्ट के अंतर्गत आने वाले झारडीह रेल्वे स्टेशन के यार्ड में सदिग्ध हालत में घूमते हुए चार महिलाओं को कल आरपीएफ रायगढ़ की टीम ने गिरफ्तार कर रायगढ़ थाने में उनके खिलाफ रेल्वे एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर चारो महिलाओ को जमानती मुचलके पर रिहा कर दिया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य सत्र में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, अधिवक्ताओं के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य व्यक्तित्वों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career School, Raigarh, C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480